न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 226–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–12–2013 पारित द्वारा तहसीलदार, भितरवार जिला ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 1/12–13/ए–13

———

अयोध्या प्रसाद पुत्र श्री रामचरन
निवासी ग्राम घाटमपुर तहसील व
परगना भितरवार जिला ग्वालियर

....आवेदक

विरूद्ध

महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामचरन
निवासी ग्राम घाटमपुर तहसील व
परगना भितरवार जिला ग्वालियर

.....अनावेदक

श्री बी0 एम0 जोशी, अभिभाषक, आवेदक
श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 13 जून, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, भितरवार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 17–12–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक महेन्द्र सिंह द्वारा तहसील न्यायालय में सहिता की धारा 131, 132 एवं 133 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि ग्राम घाटमपुर तहसील भितरवार जिला ग्वालियर में स्थित सर्वे क्रमांक 120 है । उक्त भूमि के बगल से कुआ लगा हुआ है,

जिससे उसका कृषि कार्य सुचारू रूप से होता रहता है । अनावेदक की भूमि से आवेदक अयोध्याप्रसाद, लोकेन्द्र एवं केशव की भूमि लगी हुई है और उक्त कृषि भूमि पर मेढ बनी हुई है, जिससे प्रार्थी कई वर्षों से बे रोक टोक कृषि कार्य करता चला आ रहा था । उक्त मेढ के रास्ते को आवेदक सहित लोकेन्द्र एवं केशव द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है अतः रास्ता खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/12–13/अ–13 दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । तहसीलदार द्वारा दिनांक 17–12–2003 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रकरण के निराकरण तक उक्त रास्ते को खुलवाने का आदेश दिया गया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जिस रास्ते को खुलवाने का आदेश तहसीलदार द्वारा दिया गया है, वह रास्ता मौके पर है ही नहीं । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा सर्वे क्रमांक 120 का कुछ हिस्सा क्रय कर आवेदक को परेशान करने के लिये रास्ते की मांग की जा रही है, इस बिन्दु पर तहसीलदार द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा बिना स्थल निरीक्षण किये आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा पूर्व में भी रास्ते के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो निरस्त हुआ है । तर्क के समर्थन में 1984 राजस्व निर्णय 331 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक की ओर से पूर्व में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त नहीं हुआ है बल्कि उसमें तकनीकी त्रुटि होने के कारण उसे वापस किया गया है, जिसे संशोधित कर नया आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन रास्ता रूढिगत रास्ता है, जिसे आवेदक द्वारा अवरूद्ध किया गया है, तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण कर मोके पर रास्ते के निशान होना पाते हुये पंचनामा बनाया जाकर रास्ता खुलवाने का आदेश दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अंतिम रूप से निराकरण किया जाना है जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि विधिवत स्थल निरीक्षण किया गया है और मौके पर पंचनामा तैयार किया गया है । स्थल निरीक्षण में प्रश्नाधीन रास्ता मौके पर होना पाया गया है और उसे आवेदक सहित लोकेन्द्र एवं केशव द्वारा अवरूद्ध किया जाना भी पाया गया है । अतः तहसीलदार द्वारा अंतरिम तौर से प्रकरण के अंतिम निराकरण तक प्रश्नाधीन रास्ते खुलवाये जाने का आदेश देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमिता नहीं की गई है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषेक का तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि मौके पर तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है । तहसीलदार के प्रकरण से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अनावेदक द्वारा पूर्व में प्रश्नाधीन रास्ते के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन रास्ता नहीं पाते हुयें निरस्त किया गया है । अतः इस संबंध में भी आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । चूँकि तहसीलदार द्वारा प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और वह साक्ष्य से प्रश्नाधीन रास्ता रूढिगत रास्ता नहीं होना प्रमाणित कर सकता है । दर्शित परिस्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार भितरवार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–12–2013 वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर